

31/12/2021

"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|---|--------------|--|
| वादी | ब ना म | प्रतिवादी |
| दौलतसिंह पुत्र नरपतसिंह रावपुरा- पेमपुरा | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 297 / 2021 GCMS No. 2021 / 1074

| | | |
|-------------|------------------------------------|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इन्लियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|---|

03/12/2021

वादी श्री दौलतसिंह पुत्र नरपतसिंह
जाति रावपुरा निवासी पेमपुरा द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021" कैम्प ग्राम पंचायत पेमपुरा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2075-2078 ग्राम पेमपुरा पटवार मण्डल के खाता नम्बर 119, 164 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि दौलतसिंह पुत्र नरपतसिंह दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम दौलतसिंह पुत्र नरपतसिंह है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 681721015121- मतदाता पहचान पत्र अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।
इस संबंध में हल्का पटवारी गरीब भूअनि चिन्मन एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।
अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफत हो।

1196-1198



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)